

**NOTICE****Group Health Insurance Scheme**

This is to inform all teaching and non teaching staff of the University, drawing gross salary more than Rs. 21000/- per month that an Health Insurance Policy is in force, which will insure you up to a sum of Rs. 5 Lakh for the insurance period at a premium shared equally by the University and the staff. The parents, father-in-law are also eligible for the equivalent coverage amount at a premium to be entirely borne by the staff.

Hence those staff who come under the criteria may kindly submit their family details upto December 2018.

For any clarification, kindly contact Finance Office, SHUATS.



Director, FPM  
SHUATS

समस्त शिक्षक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारी

14.05.2018

शुआट्स

**नोटिस**

विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि जिनका मासिक वेतन रु. 21000 से अधिक है उनके लिए ये स्वास्थ्य बीमा पालिसी है। ये बीमा पालिसी 5लाख रूपए की बीमा सुनिश्चित करता है, इसमें आधा अंश विश्वविद्यालय का एवं आधा अंश स्टाफ/कर्मचारी का रहेगा। इस बीमा पालिसी में स्टाफ/कर्मचारी अपने सगे-सम्बन्धी जैसे माता-पिता, सास-ससुर को भी शामिल कर सकता है लेकिन ऐसे मामलों में प्रीमियम का भुगतान स्टाफ/कर्मचारी को ही करना होगा।

अतः ऐसे स्टाफ/कर्मचारी जो इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं उनसे अनुरोध है कि अपने परिवार का व्यौरा दिसम्बर 2018 तक वित्त नियन्त्रक कार्यालय में जमा कर दें। किसी प्रकार की असुविधा के लिए वित्त नियन्त्रक कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।



निदेशक  
वित्त, नियोजन एवं प्रबन्ध